

उत्तराखण्ड शासन  
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1  
संख्या- /XIII(1)/2018-3(02)2017  
देहरादून: दिनांक 17 अप्रैल, 2018

संशोधन-आदेश

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 06 फरवरी, 2018 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-634/XIII(1)/2018-3(02)2017 दिनांक 13.04.2018 द्वारा कृषि विभाग के अन्तर्गत श्रेणी-1/2 के अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु जनपदों का सुगम-दुर्गम स्थलों के रूप में चिन्हीकरण किया गया है, में श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के अधिकारियों हेतु इंगित तालिका में जनपद अल्मोड़ा एवं नई टिहरी दुर्गम इंगित किया गया है। कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-102/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक 14 अप्रैल, 2018(प्रति संलग्न) द्वारा अधिनियम के परिशिष्ट-3 में उल्लिखित जिन कार्मिकों की तैनाती केवल जिला मुख्यालय/निदेशालय मुख्यालय पर की जाती है तथा उनका स्थानान्तरण शासन स्तर से विभागाध्यक्ष स्तर से किया जाता है, हेतु जनपद अल्मोड़ा एवं नई टिहरी को सुगम स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है।

2. उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-634/XIII(1)/2018-3(02)2017 दिनांक 13.04.2018 में इंगित जनपद मुख्यालय अल्मोड़ा एवं नई टिहरी को सुगम स्थल के रूप में चिन्हित इंगित किया जाता है।

3. उक्त शासनादेश दिनांक 13.04.2018 को इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाये। शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(डा0 राम बिलास यादव)  
अपर सचिव।

संख्या 634<sup>11</sup>/XIII-1/2018-3(02)2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

- 1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3- निजी सचिव, सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 4- कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 06.02.2018 एवं 14.04.2018 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 5- मण्डलायुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा/से,

(राजेन्द्र सिंह)  
संयुक्त सचिव।